वादी: अमिताभ आदि
प्रतिवादी: नारायणराम चौधरी आदि
किस्म मुकदमा: राजस्व अधीन धारा: 91 मु.नं.: 57/18

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
30/4/18	प्रस्तुत वाद वादी व प्रतिवादीगण के [illegible] अन्तर्गत धारा 88 [illegible] 1955 के तहत पेश किया वादी का वाद पत्र रजिस्टर कर प्रतिवादी गणों को नोटिस जारी किये जाने पश्चात पेश हो। दि० 20/6/18 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)	
20/6/18	पत्रावली कैम्प नारायणपुरा में पेश हुई। पार्टी एवं रामलाल सरपंच आदि प्रतिनिधि उपस्थित। तहसीलदार कुचामन उपस्थित। पार्टी वादी के वाद पत्र का एवं जवाब दावा का अवलोकन किया। तहसीलदार कुचामन से रिपोर्ट चाही। तहसीलदार कुचामन ने कैम्प में रिपोर्ट पेश कि वादी का वकील तथा विपक्षी वादी के वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया की खातेदार सावताराम 1/10 हिस्सा का हकदार वादी के नाम दुरस्ती किया जावे। तहसीलदार के जवाब से वाद दुरुस्ती किया जाना उचित प्रतीत होने से वादी का वाद पत्र स्वीकार कर ग्राम कुड़ेवपुरा के ख.नं. 123 रकबा 7.6700 हे० में सावताराम 1/10 हिस्सा जाता है नारेतराम पुत्र नारायणराम का 1/10 के स्थान पर 1/5 खातेदार काश्तकार होना दर्ज किया जाता है। डिक्री पत्र तैयार कर हस्ताक्षर हो। तहसीलदार कैम्प [illegible] तहसीलदार कुचामन सिटी	उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official